कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तखतपुर, जिला – बिलासपुर,(छ.ग.)

क्रमांक / अविअ / वा–1 / 2025 /1143 तखतपुर, दिनांक 26/06/2025

प्रारूप–ड.

(नियम 7(2)देखिये)

अनुज्ञा

प्रति,

श्री मनोहर लाल तिवारी पिता स्व0 चंदनलाल तिवारी
निवासी बाजार पारा मेंन रोड सकरी जिला बिलासपुर(छ.ग.)

विषय :– रोपित किये गये वृक्षों की कटाई हेतु अनुज्ञा।

विषान्तर्गत आपका निवेदन आवेदन दिनांक 11.04.2025 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन जारी किया गया। वन विभाग एवं राजस्व निरीक्षक के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आवेदित वृक्ष की स्थिति निम्नानुसार हैः–

1.– आवेदक मनोहर लाल तिवारी निवासी सकरी द्वारा ग्राम सकरी स्थित भूमि खसरा नंबर 744 / 3 / ख रकबा 0.008 हे. भूमि जिसमें आवेदक का घर बना हुआ है। जिसके आंगन में 13.9 फिट का पुराना पीपल का पेड़ स्थित हैं। जिसकी जड़े बाथरूम तथा घर में घुस चुकी है। जिसमें आवेदक ने उक्त वृक्ष को काटनें हेतु छ0ग0 भू0 राजस्व संहिता की धारा 240 के अंतर्गत अनुमति चाही गई हैं।

2.– खसरा क्रमांक 744 / 3 / ख में रोपित वृक्ष – पीपल है।

3.– खसरा क्रमांक 744 / 3 / ख में वृक्ष की गोलाई 13.9 फिट।

4.– प्राकृतिक रूप से वृक्षों की प्रजाति पीपल संख्या – 1 है।

5.– परिपक्व वृक्षों की संख्या – 1 है।

6.– वृक्ष आवेदित भूमि में बनें मकान के छोटे आंगन में स्थित है। जिससे की दुर्घटना की संभावना है।

अतः अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुचता हूँ कि ग्राम सकरी प.ह.न. 45 खसरा नंबर 744 / 3 / ख कुल रकबा 0.08 हे0 भूमि में पीपल का वृक्ष रोपित है। जो कांटे जानें पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लघंन नहीं हो रहा है। आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र अनुसार वृक्षों को काटे जानें पर अनुज्ञा दी जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्रमांक 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) कं अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम 2001, का पालन नहीं किये जानें पर यह अभिमत शून्य होगी।

यह अभिमत आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य होगी।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
तखतपुर, जिला–बिलासपुर(छ.ग.)

(मुहर: अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.))

क्रमांक / अविअ / वा–1 / 2025 /1144 तखतपुर, दिनांक 26/06/2025

प्रतिलिपी :–

1.–कलेक्टर जिला बिलासपुर को सूचनार्थ एवं सादर संप्रेषित।

2.–वनमंडलाधिकारी, वनमंडल, बिलासपुर बिलासपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3.– तहसीलदार सकरी को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
तखतपुर, जिला–बिलासपुर(छ.ग.)

(मुहर: अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तखतपुर, जिला–बिलासपुर (छ.ग.))